



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012026-269655
CG-DL-E-29012026-269655

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947

No. 65]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 66(अ).— औषधि नियम, 1945 का और संशोधन करने वाले कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्र सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 33 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात् बनाना प्रस्तावित करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है, और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिनमें ये प्रारूप नियम अंतर्विष्ट हैं, जनता के लिए उपलब्ध कराएं जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यू-6, वर्क हॉल सी विंग, प्रथम तल, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली, 110001 को संबोधित किया जा सकता है अथवा ई-मेल के माध्यम से drugsdiv-mohfw@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

(1) इन नियमों को औषधि (.....संशोधन) नियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

औषधि नियम, 1945 के नियम 43क में, "कोचीन और तिरुवनंतपुरम" शब्दों के स्थान पर, "कोचीन, तिरुवनंतपुरम और महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्थित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एनएमआईए)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एक्स. 11035/131/2022-डीआर]

निखिल गजराज, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 28-10/45-एच(1) तारीख 21 दिसंबर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), तारीख..... द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2026

G.S.R. 66(E).—The following draft of certain rules to amend the Drugs Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 and subsection (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is hereby published after consultation with the Drugs Technical Advisory Board for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs Regulation), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Kartavya Bhawan, C Wing, New Delhi - 110011 or emailed at drugsdiv-mohfw@gov.in.

DRAFT RULES

- (1) These rules may be called the Drugs (.....Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

In the Drugs Rules, 1945, in rule 43A, for the words “Cochin and Thiruvananthapuram”, the words, “**Cochin, Thiruvananthapuram and Navi Mumbai International Airport (NMIA) in Raigad, Maharashtra**” shall be substituted.

[F. No. X. 11035/131/2022 -DR]

NIKHIL GAJRAJ, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Official Gazette vide notification No. F. 28-10/45-H(1) dated 21st December, 1945 and last amended vide notification number G.S.R.....(E), dated.....